रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01122020-223429
CG-DL-E-01122020-223429

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 2020/ अग्रहायण 10, 1942
No. 344] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 1, 2020/AGRAHAYANA 10, 1942

वस्त्र मंत्रालय

(वस्त्र व्यापार संवर्धन अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 01 दिसंबर, 2020

सं. 12015/15/2020

विषय: तकनीकी वस्त्र के लिए विशिष्ट निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) का गठन।

फा.सं. 12015/15/2020-टीटीपी.—आर्थिक मामले से संबंद्ध मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 26 फरवरी, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में तकनीकी वस्त्र के लिए विशिष्ट निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) के गठन को अनुमोदित किया है।

इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि वस्त्र मंत्रालय में विशिष्ट ईपीसी का गठन किया जाएगा। इसके फलस्वरूप, कंपनी अधिनियम अथवा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत निर्यातक संघ और व्यापार निकायों को एतद्द्वारा तकनीकी वस्त्रों के लिए विशिष्ट ईपीसी के गठन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

परिषद की निबंधन व शर्तें वहीं होंगी जो विदेश व्यापार नीति 2015-20 (प्रक्रिया पुस्तिका का पैरा 2.92) के तहत डीजीएफटी तथा वाणिज्य विभाग द्वारा अपने दिनांक 08 अगस्त, 2000 के पत्र के माध्यम से आदर्श/समान संस्था के अंतर्नियमों/उपनियमों को पारित करने के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार है। परिषद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन और विकास के संबंध में केंद्र सरकार के सभी निर्देशों का पालन करेगी और विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा

समय-समय पर चिन्हित एवं अधिसूचित आईटीसी (एचएस) लाइन्स के संवर्धन के लिए जिम्मेवार होगी। 207 एचएस लाइनों को चिन्हित किया गया है तथा दिनांक 15.01.2019 की अधिसूचना सं. 54/2015-2020 के तहत अधिसूचित किया गया है, जिसे भारत के राजपत्र असाधारण भाग-।।, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया है।

इस संबंध में प्रस्ताव 15 दिसंबर, 2020 तक अद्योहस्ताक्षरी तक पहुंच जाना चाहिए।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

जय करन सिंह, व्यापार सलाहकार

MINISTRY OF TEXTILES

(Textiles Trade Promotion Section)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 1st December, 2020

NO. 12015/15/2020

Subject: Formation of a dedicated Export Promotion Council (EPC) for Technical Textiles

F.No. 12015/15/2020-TTP.—Cabinet Committee on Economic Affairs in its meeting held on 26th February 2020 has approved for constitution of dedicated Export Promotion Council (EPC) for Technical Textiles.

Therefore, it has been decided that a dedicated EPC in the Ministry of Textiles shall be constituted. Consequently, Exporter Association and Trade bodies registered under Companies Act or Society Registration Act are hereby invited to submit proposal for constitution of a dedicated EPC for Technical Textiles.

The terms & conditions of the council would be the same as per guidelines issued for adoption of Model/Uniform Articles of Association/Bye-laws by Department of Commerce vide letter dated 8th August 2000 and by DGFT under Foreign Trade Policy 2015-20 (Para 2.92 of Handbook of Procedures). The council shall abide by all directions of the Central Government in respect of promotion and development of international trade and would be responsible to promote ITC(HS) lines identified and Notified by Directorate General of Foreign Trade from time to time. 207 HS lines have been identified and Notified vide Notification No 54/2015-2020 dated 15.01.2019 that has been published in the Gazette of India Extraordinary Part-II, Section-3, Sub-section(ii).

A proposal in this regards should be reached to the undersigned by 15th December, 2020.

This issues with the approval of competent Authority.

JAY KARAN SINGH, Trade Advisor

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA